

प्रेषक,

निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,
620, इन्दिरा भवन
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 15147-217/3000कॉनो/महोवि०वि०/2001 दिनांक: 17 अगस्त, 2002

विषय: - अरबी फारसी मदरसा विकास निधि नियमावली-2001 के उद्देश्यों के निमित्त प्रस्ताव भेजे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 3282/3000कॉनोवि०/2001 दिनांक 31.12.2001 एवं 3749/3000कॉनोवि०/महोवि०वि०/2001 दिनांक 22.1.2002 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिले द्वारा अरबी फारसी मदरसा विकास निधि के उद्देश्यों हेतु प्रस्ताव लगे गये थे।

इस संबंध में कहना है कि अतिव्यवसायी जाति जो प्रस्ताव उपरोक्त कराये गये हैं उनमें पान्थता, पंजीकरण प्रभावण इत्यादि से सम्बंधित कोई उल्लेख नहीं भेजे गये हैं, केवल मदरसे से प्राप्त पत्र को मुख्य में भेज दिया गया है। इसलिये ऐसे प्रस्तावों पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। कृपया निधि के निर्माताओं को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित निदेशालय को उपलब्ध कराये।

1. अरबी फारसी मदरसों में संयोजित पाठ्यपुस्तकों के फल में उल्लेख कार्य हेतु पुरस्कार-विषय-जान

सम्बंधित आवेदक से संलग्न प्रारूप पर आदेश पत्र प्राप्त करके अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करेंगे। इसमें सम्बंधित आवेदक द्वारा अरबी फारसी मदरसों में संयोजित-पाठ्यपुस्तकों में लिखने हेतु पाठ्यपुस्तक का अंश देते हुए तथा सम्बंधित आवेदक द्वारा यदि अन्य कोई पाठ्यपुस्तक लिखी गई हो तो उसका भी विवरण देते हुए तथा यदि कोई पुरस्कार पित हो तो भी उसका भी विवरण देते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

2. उच्च आतिषा स्तर तक के विद्यार्थियों के पुस्तकालयों के लिए अनुदान विवरण जाना

मदरस से संलग्न प्रारूप पर आदेश पत्र प्राप्त करके अपनी संस्तुति से उच्च प्रस्ताव उपलब्ध कराये। इस उद्देश्य के लिए मदरसों में संयोजित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य शैली पुस्तकें जो छात्रों के लिए जा नवर्द्धक हो मदरसों में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र भेजा जायेगा। पुस्तकालय के लिए पर्याप्त कमरा उपलब्ध हो तथा किसी भी स्तर पर अनुदान प्राप्त हो रहा हो उसका विवरण देते हुए भी प्रस्ताव उपलब्ध करायेगा।

3. मदरसा शिक्षा के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आतिषा देना
इस उद्देश्य के लिए उच्च स्तरों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पत्र देते

2.
 जिन्होंने अरबी फारसी बोर्ड में 75 प्रतिशत अंक से अधिक प्राप्त किये हों तथा किसी अन्य स्रोतों से कोई आर्थिक सहायता सम्बंधित वर्ष में न मिली हो ऐसे छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश चाहता हो ऐसे छात्रों से संलग्न प्रश्न पर आदेश पत्र प्राप्त करके अपनी संतुष्टि सहित उपलब्ध कराएँ।

4. अरबी ख्याति के मद्दत में मैट्रिंग केमिस्ट पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराना इस उद्देश्य से सम्बंधित आलिया स्तर तक के मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को जिनके पास कम्प्यूटर नहीं है, मदरसे में अध्ययनरत छात्र पर्याप्त संख्या में है और शिक्षक कमरे की व्यवस्था हो, ऐसे मदरसों से प्रस्ताव संलग्न प्रश्न पर प्राप्त करके अपनी संतुष्टि सहित निदेशावली को उपलब्ध कराएँ। मदरसे द्वारा अनापूर्तक आदान & रिफरिंग व्यवस्था बढा किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत राशि मदरसे द्वारा कम्प्यूटर क्रय हेतु खर्च की जायेगी।
5. अरबी फारसी शिक्षा के विकास से सम्बंधित अन्य कार्य इस उद्देश्य की पूर्ति के सम्बंध में मदरसे के विकास से सम्बंधित अपने स्तर से परीक्षण करके प्रस्ताव उपलब्ध कराएँ।

आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बंध में प्रस्ताव अपनी संतुष्टि सहित निदेशावली को तैयार होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्ताजुसार।

अधीन,
 2/1

§ 40 लघु मारुकी §
 तिहार

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तासुचमदः
 सूचिव, अल्पसंख्यक अल्पाध्ययन एवं वकफ, अनु-3, 30 प्र० बंगला का
 सूचनार्थ पैगिन।

§ 40 लघु मारुकी §
 तिहार

उच्च आलिया स्तर तक के विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए अनुदान दिया जाना

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. मदरसे का नाम;
2. किस स्तर तक मान्यता प्राप्त है।
॥ मान्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये ॥
3. मदरसा अनुदानित है/नहीं है।
4. एंजी करण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र सं. एवं वैधता की अवधि ॥ प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये ॥
5. मदरसे में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण:
तहता नियाँ:
फौकानियाँ:
आलिया :
मुंशी/मौलवी
आलिम :
कामिल :
फाजिल :
5. पुस्तकालय के लिए पर्याप्त कमरा है :
कमरे की साइज सहित विवरण दिया जाये:
6. पुस्तकालय के लिए धनराशि की आवश्यकता विवरण सहित :

मदरसे के प्रधानाचार्य/
पदाध्यक्ष के हस्ताक्षर

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मदरसे को पुस्तकालय के लिए अनुदान देने की संस्तुति की जाती है।

जि०ओ०क००अधि० के हस्ताक्षर
जमपद का नाम:

उच्च आलिया स्तर तक के विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए अनुदान दिया जाता

साधेदा पत्र का प्रारूप

1. मदरसे का नाम:
2. किस स्तर तक मान्यता प्राप्त है
मान्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये।
3. मदरसा अनुदानित है/नहीं है ।
4. पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र सं. एवं वैधता की अवधि प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये।
5. मदरसे में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण:
लहता नियां:
फौकानियां:
आलिया :
मुंशी/भौलवी
आलिम :
कामिल :
फाजिल :
5. पुस्तकालय के लिए प्रमाणित कमरा है :
कमरे की साइज सहित विवरण निम्न साथे:
6. पुस्तकालय के लिए धारणा की आवश्यकता कि उरण सहित :

मदरसे के प्रमाण पत्र
पुस्तकालय के हस्ताक्षर

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संज्ञा में

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मदरसे को पुस्तकालय के लिए अनुदान दिये जाने की सहायता दी जाती है।

दि 30/07/2018 के हस्ताक्षर
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

अरबी फारसी मंदरनों में संचालित पाठ्यपुस्तकों के लेखन में उत्कृष्ट कार्य
हेतु पुरस्कार दिया जा रहा है।

आवेदन पत्र का पालन

1. आवेदक का नाम:
2. आवेदक के पिता/पति का नाम:
3. पता : स्थान :
अस/ई :
4. जन्म तिथि:
5. वैधिका अभ्यता
6. अरबी-फारसी मंदरनों में संचालित पाठ्यपुस्तक
कानून जिसमें लेखन किया गया है।
7. अन्य कोई पाठ्यपुस्तक जिसमें लेखन के रूप में
पुरस्कार मिला हो।
8. अन्य कोई विवरण यदि हों।

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संतुष्टि

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त आवेदक को अरबी फारसी मंदरनों
में संचालित पाठ्यपुस्तक के लेखन के लिए पुरस्कार दिए जाने की संतुष्टि की
जाती है।

जि०अ०क०अ०श्री० के हस्ताक्षर
नाम का नाम:

मदरसा शिक्षा के मेधावी छात्रों को उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आर्थिक सहायता देना

1. छात्र/छात्रा का नाम:
2. पिता/पति का नाम:
3. जन्म तिथि :
4. पता: स्थाई:
अस्थायी:
5. मदरसे का नाम जिससे परीक्षा उत्तीर्ण की है:
6. मुन्शी/मौलवी, आज़िम, कामिल, फाजिल में प्राप्त अंक, परीक्षा वर्ष सहित विवरण दिया जाये एवं अंक पत्र की प्रामाणिक प्रति सलगन की जाये।
§ 75 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्र आर्थिक सहायता के लिए पात्र होंगे।
7. उच्च शिक्षा का नाम जिसमें छात्र प्रवेश लेने का इच्छुक है।
8. वर्तमान में किस विद्यालय/विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
9. आर्थिक सहायता हेतु मदरसा की आवश्यकता विवरण सहित।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संस्तुति

प्रामाणिक किया जाता है कि उक्त छात्र को आर्थिक सहायता दिए जाने की संस्तुति की जाती है।

नि0310क0आधि0 के हस्ताक्षर
मुसपद का नाम: